ReCONNECT (री-कनेक्ट)

री-कनेक्ट एक निःशुल्क सेवा है जो सेवाएं प्राप्त करने में घायल श्रमिकों की सहायता करती है। यह सेवा स्व-बीमित नियोक्ताओं के कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है।

कार्यस्थल पर लगी चोट संबंधी बीमा दावे के दौरान किसी भी स्तर पर, री-कनेक्ट उपलब्ध है, यह सेवा तब सबसे उपयोगी होती है जब:

- आय-सहायता समाप्त हो रही है
- कोई दावा नामंज़ूर कर दिया गया है
- यदि दावे के निर्णय पर विवाद किया जा रहा है
- किसी दावे के स्वीकार होने से पहले या सभी पात्रताओं के समाप्त हो जाने के बाद
- यदि सेवानिवृत्ति की आयु निकट आ रही है।

एक री-कनेक्ट सलाहकार आपको सहायता सेवाएँ प्राप्त करने में सहायता कर सकता/ती है, जैसे कि:

- वित्तीय परामर्श
- सेंटरलिंक (Centrelink)
- आवास सहायता
- स्वयंसेवा (वालंटियर) और नौकरी की तलाश में सहायता
- परिवार को सहायता
- घर पर सहायता
- समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओं की प्राप्ति।

री-कनेक्ट सलाहकार फ़ोन, ईमेल या आमने-सामने मिल सकते हैं। हम कैसे मदद कर सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए 08 8238 5959 पर फ़ोन करें या reconnect@rtwsa.com पर ईमेल करें

अंग्रेज़ी के अलावा किसी अन्य भाषा में री-कनेक्ट के किसी सलाहकार से बात करने के लिए इंटरप्रेटिंग एंड ट्रांसलेटिंग सेंटर (अनुवाद और दुभाषिया केंद्र) को 1800 280 203 पर फ़ोन करें और उनसे 13 18 55 पर रिटर्न टू वर्क SA से बात करवाने के लिए कहें। यह दुभाषिया सेवा आपके लिए नि:शुल्क उपलब्ध है।